(4)

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 92/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा अवधारण करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण व सर्वेक्षण हेतु निम्नवत् सर्वेक्षण दल गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1. सम्बन्धित नायब तहसीलदार,
2. अर्जन/अपेक्षक निकाय के तहसील स्तर के अधिकारी (अनुपलब्धता की दशा में जिला या राज्य स्तर के अधिकारी),
3. सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 92/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 92/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 12 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute an following survey team for preliminary survey and survey for the purposes of enabling the appropriate Government to determined the extend the land to be acquired namely :

1. Concerning Naib Tehsildar,
2. Officer of the Tehsil level of acquire/require body (in case of non-availability district or State level officer),
3. Concerning Revenue Inspector/Lekhpal.

By Order,

D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 ,राजस्व/143–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।